कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति विशिष्ट श्रेणी (अनाज) कोटा

क्रमांक :–   दिनांक :–

सेवा में,

उप वन संरक्षक,

नयापुरा, कोटा

प्रसंग :– क्रमांक 193 05.01.2023 के जवाब के क्रम में।

प्रस्ताव का नाम :– LAND FOR EXTENTION OF BHAMASHAH KRISHI MANDI SAMITI

यूजर एजेन्सी का नाम :– KRISHI UPAJ MANDI SAMITY KOTA

प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र :– 96.00 Hac.

प्रस्तावित जिला एवं वनमण्डल :– Kota District and kota Division

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि :– FP/RJ/Others/20036/2016 29.06.2016

1	बिन्दु संख्या 2 की पालना के क्रम में पार्ट ।। में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघंन करने वाले अधिकारियों के नाम अंकित कर दिये गये है। किन्तु उप वन संरक्षक द्वारा वन अधिनियम 1980 की मार्ग दर्शिका 2019 के पैरा 1.21 के अनुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट संलग्न नहीं की गई है।	उपरोक्त उप वन संरक्षक कोटा से संबंधित है।
2	बिन्दु संख्या 4 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। में एन0एफ0एल0 भूमि पर प्रचलित मॉडल की प्रति लगाया जाकर क्षतिपूर्ति योजना संलग्न की गई है। प्राप्त गैर वन भूमि पर 110 पौधे लगाया जाना संभव नहीं है। अतः एन0एफ0एल0 भूमि पर कितने पौधे लगाया जाना है, यह स्पष्ट नहीं है। अतः लगाये जाने वाले 96000 पौघो के अनुसार योजना बनाई जाकर संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	उपरोक्त उप वन संरक्षक कोटा से संबंधित है।
3	बिन्दु संख्या 5 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। में 6 कि0मी0 नवीन दीवार एवं 2 कि0मी0 पुरानी दीवार की राशि हेतु यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न कर दी गई है। किन्तु प्रस्ताव के साथ संलग्न क्षेत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा की रिपोर्ट अनुसार 3314 र0मी0 दीवार का नुकसान होना है। तदनुसार टिप्पणी अपेक्षित है।	उपरोक्त उप वन संरक्षक कोटा से संबंधित है।
4	बिन्दु संख्या 6 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। में गैर वन भूमि मॉडल अनुसार योजना संलग्न की गई है। किन्तु भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में निर्धारित प्रपत्र में योजना संलग्न नहीं है।	उपरोक्त उप वन संरक्षक कोटा से संबंधित है।
5	बिन्दु 7 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। में पारिभ्रषित वन भूमि मॉडल अनुसार योजना संलग्न की गई है। किन्तु भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में निर्धारित प्रपत्र में योजना संलग्न नहीं	उपरोक्त उप वन संरक्षक कोटा से संबंधित है।

	की गई है।	
6	बिन्दु 9 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। में संशोधित स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर दी गई है। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट दो वर्ष पुरानी है। अतः नवीन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	उपरोक्त उप वन संरक्षक कोटा से संबंधित है।
7	बिन्दु 10 की पालना के क्रम में मुख्य वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाईन संलग्न नहीं है।	उपरोक्त उप वन संरक्षक कोटा से संबंधित है।
8	बिन्दु संख्या 12 की पालना के क्रम में मुख्य वन संरक्षक द्वारा अभिशंषा ऑनलाईन संलग्न नहीं है।	उपरोक्त उप वन संरक्षक कोटा से संबंधित है।
9	मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा दिनांक 20.04.2018 को प्रेषित रिपोर्ट में उक्त क्षेत्र सी0ई0सी0 द्वारा अन्य एफ0सी0ए0 के प्रकरण में ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित करने के निर्देश दिये गये थे। अतः इस क्रम में सी0ई0सी0 के उक्त बिन्दु पर छूट प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रस्ताव अग्रेषित करने हेतु लिखा गया था। उक्त बिन्दु पर कार्यवाही अभी भी अपेक्षित है।	उक्त बिन्दु पर छूट पाने हेतु प्रधान मुख्य वन सरंक्षक की अनुशंषा हेतु पत्र संलग्न कर दिया गया है।
10	लागत लाभ विश्लेषण भारत सरकार के नवीन निर्देशों एवं नवीन दरों पर नहीं बनाया गया है।	पार्ट I के बिन्दु संख्या G में लागत लाभ विश्लेषण भारत सरकार के नवीन निर्देशों एवं दरो के अनुरूप संलग्न कर दिया गया हैं ।
11	उप वन संरक्षक द्वारा संलग्न स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट नहीं है कि गैर वन भूमि में कितने पौधे लग पायेगे एवं शेष पौधो को कहां लगाया जावेगा एवं उसकी स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	उपरोक्त उप वन संरक्षक कोटा से संबंधित है।
12	प्रकरण में 1998 में एफ0आई0आर0 काटी हुई है, जिसका वर्तमान स्थिति क्या है, पूछा जाना प्रस्तावित है।	उपरोक्त उप वन संरक्षक कोटा से संबंधित है।
13	यूजर एजेन्सी द्वारा पार्ट । में मात्र अनन्तपुरा में 96 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन को प्रस्तावित की गई है, जबकि उक्त भूमि अनन्तपुरा में 72.34 है0 एवं उम्मेदगंज में 23.66 है0 वन भूमि प्रस्तावित है। तदनुसार संशोधन अपेक्षित है।	उपरोक्त समस्त 96 हेक्टर भूमि राजस्व ग्राम अनन्तपुरा में ही स्थित हैं तथा डी.जी.पी.एस. सर्वे में सर्वे के दौरान उपस्थित सभी अधिकारीयों के हस्ताक्षर है। जिसके अनुसार उक्त समस्त भूमि अनन्तपुरा में ही स्थित है। जिसकी नक्शा पूर्व में ही आपके कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। पार्ट I के B-2.3 में संशोधन कर दिया गया है।
14	प्रस्ताव में गैर वन भूमि दो ग्रामों गुरायता में 74 है0 एवं बोरीनाखुर्द में 22 है0 प्रदान की गई है। अतः पार्ट । के बिन्दु संख्या एल में तदनुसार संशोधन प्रस्तावित है।	प्रस्ताव में गैर वन भूमि दो ग्रामों गुरायता में 74 है0 एवं बोरीनाखुर्द में 22 है0 प्रदान की गई है। अतः पार्ट । के बिन्दु संख्या एल में तदनुसार संशोधन कर अपलोड कर दिया गया है।

(जवाहर [illegible] नागर)
सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) कोटा

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) कोटा
विशिष्ट श्रेणी, कोटा

कार्यालय कृषि उपज मण्डी (अनाज) विशिष्ट श्रेणी, कोटा

क्रमांक :– /2022–23/ ~~3791~~ 4701 दिनांक :– 19-01-2023

सेवा में,

श्रीमान उप वन संरक्षक,

कोटा (राज.)

विषय :– LAND FOR EXTENTION OF BHAMASHAH KRISHI MANDI SAMITI RAJASTHAN (PROPOSAL NO. FD/RJ/OTHERS/20036/2016)

सन्दर्भ :– कार्यालय उपवन संरक्षक कोटा के पत्रांक 193 दिनांक 05.01.2023 के जवाब के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि आपके कार्यालय द्वारा लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

(जवाहर लाल नागर)

सचिव

कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज)

सचिव

कृषि उपज मण्डी (अनाज)

विशिष्ट श्रेणी, कोटा